

37TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN JANSATTA_22.06. 2026 Page No. 22



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : युनिट नं. 1ए और 1सी, प्रथम तल, कर्मचारी टावर,
होटल जेडब्ल्यू मैरिड, एर्रोसिटी, नई दिल्ली-110037

टेलीफोन: 91-9821795327 / 28 / 29 / 30, ई-मेल: investor@femindustries.com

वेबसाइट: www.femindustries.com रजिस्ट्रार ई-मेल: L3699D11389PLC034928

विषय: 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (अग्रिम सूचना)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि बैठक की सूचना में बताए गए कामकाज को पूरे किए जा सकें।

कॉर्पोरेट नामों के मंचालय (एमसीए) ने 22 सितंबर, 2025 के अपने जनरल सिक्यूरर नंबर 03/2025 (और इस संबंध में पहले जारी किए गए सिक्यूरर, जिन्हें समूहिक रूप से 'एमसीए सिक्यूरर' कहा जाता है) के तहत, सदस्यों की किसी एक जगह पर शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए सिक्यूरर और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों (साथ ही इसके तहत बने नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("संबंधी लिस्टिंग विनियम")) का पालन करते हुए, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक सामान्य बैठक/एजीएम की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ एमसीए और संबंधी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट से लेने के लिए एक वेब-लिंक और एक वयुआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र साधारण डाक के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।

सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि हेतु अनुरोध एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणनीय के लिए की जाएगी। 37वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.femindustries.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे उन शेयरधारकों, जो मौखिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कंपनी/आरटीए अथवा डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोड करें तथा उसमें एजीएम से जुड़ने और भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों का पालन करें।

लामांश और रिकॉर्ड तिथि:

लिस्टिंग रेगुलेशन 42 के अनुसार, (जैसा कि संशोधित किया गया है), के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फाइनल डिविडेंड (अगर एजीएम में घोषित किया जाता है) पाने के हकदार सदस्यों की पहचान करने के लिए शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को 'रिकॉर्ड तिथि' तय किया है।

6 फरवरी, 2026 को सेबी मास्टर सिक्यूरर के अनुसार, मौखिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लामांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान तभी किया जाएगा जब वे कंपनी/आरटीए (यानी एमयूएफजी इन्टरड्रम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास अपने संबंधित फिजिकल फोखिरे के लिए अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, संपर्क विवरण (डाक का पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल), बैंक खाते का विवरण, नमूना हस्ताक्षर अदि उपलब्ध कर देंगे। कृपया इस लिंक पर जाकर सेबी के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नंबर 47 और 48)।

लिम शेयरधारकों ने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल पंजीकृत नहीं किया है और/या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लामांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:

- डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण:** यदि शेयर डीमैट रूप में वारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में सीधे द्वारा सझुई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतित करवा लें।
- आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण:** यदि शेयर मौखिक रूप में वारित हैं, शेयरधारकों को तुरंत ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को investor@femindustries.com पर निर्धारित फॉर्म ISR-1 जमा करके या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजकर पंजीकृत/अपडेट करवा चाहिए। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट <https://femindustries.com/investor-services-forms> से निवेशक अनुभाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट <https://web.in.mpmis.mufg.com/KYC-downloads.html> से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि:

- सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- अभौतिक रूप, मौखिक रूप में कंपनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटरी वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की विधि एजीएम की सूचना में दी जाएगी।
- ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकते हैं।
- सदस्यों को ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालने के लिए लॉगइन प्रत्यक्ष ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण, जिनको ई-मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई-मेल पता कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए अनुदेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्यक्ष बना सकते हैं।
- शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24 जुलाई, 2026 को उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

लामांश पर टीडीएस:

आयकर अधिनियम, 2025 ("आईटी अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, लामांश आय सदस्यों को हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दर पर सदस्यों को दिए गए लामांश से स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ या यदि शेयर मौखिक रूप में हैं, तो आरटीए के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आयवसीय स्थिति, पैन, शेरी को पूरा/अपडेट करें। इसके अलावा, आईटी अधिनियम और अन्य लागू दस्तावेजों के तहत लागू फॉर्म 121/41 जमा करना होगा। सदस्य हमारे आरटीए, एमयूएफजी इन्टरड्रम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <https://web.in.mpmis.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html> लिंक पर जा सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि 37वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा 37वीं एजीएम के दौरान वोट डालने की विधि संबंधी अनुरोध सावधानी के साथ पढ़ लें।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./—

अरविन्द के. चौहान

कम्पनी सचिव

तिथि: 22 जून, 2026

स्थान: गुरुग्राम

37TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE) THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS _22.06.2026 Page No. 12

  LIGHT UP THE WORLD	FIEM INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037 Tel: +91-9821795327/28/29/30, E-mail: investor@fiemindustries.com Website: www.fiemindustries.com CIN: L36999DL1989PLC034928
Re: 37TH ANNUAL GENERAL MEETING (ADVANCE NOTICE)	
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, July 31, 2026 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with the circulars issued earlier in this regard (collectively referred to as 'MCA Circulars') permitted holding of the AGM through VC/OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2025-26 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2026 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA and SEBI Circulars. A letter providing a web-link of Company's website and a QR code for accessing the Notice of the AGM and the Annual Report will be sent by ordinary post to those members who have not registered their email IDs. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 37th AGM will be available on the website of the Company at www.fiemindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Further, those shareholders who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/RTA or DP, are requested to download the AGM Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM. Dividend and Record Date: Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, as amended, Company has fixed Friday, July 24, 2026 as Record Date for determining the entitlement of members for final dividend for FY 2025-26 on Equity Shares, if declared at the AGM. As per the SEBI Master Circular dated February 6, 2026, payment of dividend to members holding shares in physical mode shall only be made electronically. Such payment shall be made only after they have furnished their Permanent Account Number, Contact Details (Postal Address, Mobile Number and E-mail), Bank Account Details, Specimen Signature, etc., for their corresponding physical folios with the Company/ RTA (i.e. MUFG Intime India Pvt Ltd.). Please refer to SEBI FAQs by accessing the link: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf (FAQ No. 47 & 48) The shareholders, who have not registered their email address & mobile with the Company/RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic payment methods, are requested to register / update the above details immediately, in the following manner: (i) Registering / updating the details with DP: In case the Shares held in demat mode, such shareholder should register / update the email address, mobile no., bank account details and other KYC in his / her demat account as per process advised by the DP. (ii) Registering / updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholders should immediately register / update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed Form ISR-1 at e-mail investor@fiemindustries.com or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at https://fiemindustries.com/investor-services-forms/ under Investor section, or from website of RTA https://web.in.mpmis.mufg.com/KYC-downloads.html Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM: (i) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). (ii) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode or physical mode, who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. (iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through VC/OAVM. (iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM. (v) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. July 24, 2026. TDS on Dividend: As per the provisions of the Income Tax Act, 2025 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rate. Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 121/41 under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, MUFG Intime India Pvt. Ltd. at the link https://web.in.mpmis.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 37th AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the 37th AGM. Date : 22.06.2026 Place : Gurugram For Fiem Industries Ltd. Sd/- Arvind K. Chauhan Company Secretary	